न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 140/2024

अनवान : —

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
:—प्रार्थी

बनाम

1. सतवीर पुत्र जुगलाल जाति खाती साकिन अलायला तहसील भादरा।
:—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत 86
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :— पैरोकार राज
वकील श्री कृष्ण गर्ग अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :— 22.08.2025

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86 के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 की रोही मौजा अलायला के खसरा संख्या 216/29 के खसरा संख्या 366/336 की 2.1980 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि सतवीर पुत्र जुगलाल जाति खाती साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसके खसरा खसरा सं0 366/336 में से 1 पेड. खेजडी को बिना अनुमति के खातेदार सतवीर पुत्र जुगलाल द्वारा काटा गया है।

उक्त हरे पेडों को काटने की शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच पटवारी हल्का/भू.अ. निरीक्षक से करवाई गई जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा खसरा सं0 366/336 में से 1 पेड खेजडी कुल 5 पेडों को विना अनुमति के खातेदार सतवीर पुत्र जुगलाल द्वारा काटा गया है जो मोके पर पाये गये जिन्हे नरेन्द्र पुत्र नेकीराम की सुपुर्दगी में दी गई।

अतः अप्रार्थी संख्या 1 ने विना अनुमति के हरे वृक्षों को काटा है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 86 की अवहेलना की गई है अप्रार्थी के विरूद्व कानुनी कार्यवाही की जावे।

पेरोकार राज का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बन्द किया गया। राजपैरोकार ने साक्ष्य वादी हेतु रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं दावा को ही साक्ष्य पढे. जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 1 की रोही मौजा चक अलायला के खसरा संख्या 216/29 के खसरा संख्या 366/336 की 2.1980 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि सतवीर पुत्र जुगलाल जाति खाती साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसके खसरा खसरा सं0 366/336 में से 1 पेड खेजडी को बिना अनुमति के खातेदार सतवीर पुत्र जुगलाल बिना अनुमति हरे पेड काटने के कारण अप्राथीगण के विरूद्व कार्यवाही फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested

हमने राजपैरोकार की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा चक अलायला के खसरा संख्या 216/29 के खसरा संख्या 366/336 की 2.1980 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि सतवीर पुत्र जुगलाल जाति खाती साकिन देह खातेदार में से 1 पेड को बिना अनुमति के खातेदार सतवीर पुत्र जुगलाल बिना अनुमति हरे पेड काटने के कारण अप्रार्थी सं0 1 ने बिना अनुमति के हरे खेजडी के वृक्षों को काटा है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 86 की अवहेलना की गई है अप्रार्थी के विरूद्व कानुनी कार्यवाही की जावे अप्रार्थीगण का कथन सही प्रतीत होता है क्योकि अप्रार्थी का कथन पटवारी हल्का के

कथनों के अनुसार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 की अवहेलना तो अप्रार्थी के द्वारा की गई है

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी सं० 1 को पाबन्द किया जाता है कि वह भविष्य में पेड़ों (हरे या सूखे) को काटने से पूर्व राक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करे व अप्रार्थी संख्या 1 को खेजडी का 1 पेड को काटने की किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं थी जिसके लिये अप्रार्थी को शास्ति से दण्डित किया जाना न्यायोचित है अतः अप्रार्थी सं० 1 को खेजडी के 1 पेड काटने का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक खेजडी के पेड पर 100 रु/प्रति पेड. शास्ति से दण्डित किया जाता है साथ ही अप्रार्थी सं० 1 पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से 1 खेजडी के पेड काटने के बदले में 10 खेजडी के नये पेड लगाने हेतु पाबंद किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेशित किया जाता है कि जब्त शुद्धा खेजडी की लकडियों को नियमानुसार नीलामी करवाई जाकर नीलामी राशि व अप्रार्थी सं० 1 से शास्ति राशि वसूल कर राजकोष में जमा करवाई जाकर राजस्व लेखों में अंकन किया जाना सुनिश्चित करे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 22.08.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested